

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक... 937/या.प्र./16

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्रमांक 6819/15
डॉ०/श्री/श्रीमती ~~का 20 को वमा~~ ~~सेवा~~ ~~प्राप्त~~
वाणिज्य विरुद्ध शासन एवं अन्य।
-0-

डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय ~~इली-2~~
से याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक ~~डब्ल्यू-6819/15~~ ~~डॉ० का 20 को वमा~~
मय सहपत्रों के प्राप्त हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध ~~सिवायत~~
से है।

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है। कुपया प्रभारी अधिकारी
का नाम निर्देशित करना चाहे।
आदेशार्थ

एस.ओ.

And उज्जैन की प्रभारी अधिकारी
बनाये

18/02/16

प्रभारी अधिकारी नियुक्ति कादेश का कक्षा
प्रतियां ~~कक्षा~~ ~~प्रभारी~~ ~~प्रभारी~~
नसी ~~प्रभारी~~ ~~काकुत्वा~~ ~~का~~ ~~का~~ ~~अधिकार~~
करना चाहे

हार्थ

And उज्जैन की प्रभारी
अधिकारी बनाये जाने देते
कुपया ~~देते~~ ~~पाते~~
हार्थ

28/02/16



51819
22-2-16

29/02/16

272

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक 937/2019/16

विषय :- WP 6819/15 डा. आर.के. वर्मा बनाम-पाठशाला.
वाणिज्य विभाग बी.एस.ए.

पूर्वदृष्टि से-

प्रभाषी आदेशकारी निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती दस्तावेजों की जांच अधिकृत कार्यालय पर।

आदेशिका
OSP

दस्तावेज,

प्रतिरक्षण आदेश प्राप्त करने हेतु

नस्ती विधि - विभाग की ओर
अंकित करना - पाली।

आयुक्त/सचिव

विधि-विभाग

9/03/16

9-3

उमाकांत उमराव
सचिव/आयुक्त
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा

Office
No. 269
9/3/16

9399

कोषाध्यक्ष
11-3-16

५

-1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त संशोधन अर्ज दि. 19/11/14 को याचिका, क्रमांक 171/14/15

(पक्षकारों के नाम) डा. आर. के. जी. खन्ना प्रधान
वाकिफा विकास हाथ

1/ प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, और याधिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जितने कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अविनायक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रिपोर्ट में निनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- 2/ समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- 3/ उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- 4/ शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित/कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- 5/ महत्वपूर्ण/नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित/कथन या उत्तर विभागीय/प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-
 - 1/ वाद/पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।
 - 2/ प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप ।
 - 3/ उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।
 - 4/ मामले विशदीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- 6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रक्रम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा ।
- 7/ राज्य भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।
- 8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

- 9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियों प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों।
- 10/ जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी आधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।
- 11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मदद/सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे।
- 12/ महत्वपूर्ण/नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- 13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र आवेदन दायर कर विलोपित करवाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27-2-16

419/23 उशिवि/मंत्रालय/न्याप्र/16

पृष्ठ 0
प्रतिलिपि:-

- 1/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर/इन्दौर/खालियर सभाग म.प्र. की ओर।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विद्याचल भवन भोपाल
- 3/ संयोजित जिलाध्यक्ष (म.प्र.) मध्यप्रदेश।
- 4/ ~~आगे भेजा 3 दिनांक 27-2-16 मध्यप्रदेश शासन विभाग भोपाल 30/2/16~~
प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रपिपित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलों में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये, मामले की सुनवाई की तारीख की सुनवाई हेतु नियत की गई थी/है।
- 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

27/2/16

not taking action
against complainant
of Petitioner.
A6-Police taking
action

WPS 6819/15



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

W.P No. 6819 OF 2015

PETITIONER

Dr. R.K. Verma

-Versus-

RESPONDENTS

State of M.P. and others

INDEX

23-11-15 - (PSS 80)
List along with WP 6820/15
after two weeks.

S.No.	Description of the documents	Annexure	Page Nos.	
			From	to
	11-12-15 - (SRW 27)			
1.	Index		1	
2.	List Chronological events		2	
3.	Writ Petition 13-1-16 - (ST 66)		10	
4.	Affidavit		11	
5.	List of Documents		12	
6.	copy of the letter dated 12.08.13	P/1	13	
7.	Copy of the complaint dated 27.03.14	P/2	14	
8.	copy of the complaint dated 28.03.14	P/3	15	
9.	copy of the complaint dated 09.04.15	P/4	16	17
10.	Copies of the complaint dated 09.04.15	P/5	18	
11.	Copy of the letter dated 15.04.15	P/6	19	
12.	copy of the application dated 27.04.15	P/7	20	
13.	Copy of the letter dated 28.04.15	P/8	21	
14.	copy of the application dated 15.06.15	P/9	22	
15.	copy of the application dated 11-13/07/15	P/10	23	
16.	Vakalatnama			

letter
15/6/16

INDORE

DATED:

28/09/15

ADVOCATE FOR THE PETITIONER



कार्यालय प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, शुजालपुर जिला - शाजापुर (म.प्र.)

E - Mail - hegjnscshushg@mp.gov.in

फोन नं. - 07360-244358

क्रं. / / 16

शुजालपुर दिनांक.....

प्रति,

उप सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।

अशासकीय आवक : 93
दिनांक : 5/2/16

विषय :-

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-6819 2015 (डॉ. आर.के.वर्मा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं
अन्य का जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु O.I.C. नियुक्त करने बावत।।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है, कि इस महाविद्यालय में कार्यरत डॉ. आर.के.वर्मा
सहा. प्राध्यापक वाणिज्य के द्वारा माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका क्रं
WP-6819/2015 का जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी (O.I.C.) नियुक्त करने की कृपा
करे जिससे की समयावधि में जवाब शासकीय अधिवक्ता से तैयार करवा कर प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न:- याचिका की छायाप्रति

(डॉ. विनोद देशमुख)
प्राचार्य
शास.जे.एन.एस.पी.जी.महाविद्यालय
शुजालपुर जिला - शाजापुर

न्या.उप
8/2/16

पृ.क्रं./1245/स्था.16

शुजालपुर दिनांक - 30.1.16

प्रतिलिपि :-

1. माननीय महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन 5वीं मंजिल भोपाल ।
3. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन।

मा.प्र.
8/2/16

(डॉ. विनोद देशमुख)
प्राचार्य
शास.जे.एन.एस.पी.जी.महाविद्यालय
शुजालपुर जिला - शाजापुर
Shujalpur (M.P.)